बिहार सरकार

<u>खान एवं भूतत्व विभाग</u>

<u>।। आदेश ।।</u>

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-928/2024, सुभाष प्रसाद सिन्हा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 28.03.2025 को पारित आदेश के आलोक में विभागीय उड़नदस्ता टीम के द्वारा अवैध खनन स्थल पर जाँच के क्रम में पाया गया कि परिवादी के दिनांक 01.11.2023 को दिये गये परिवाद पत्र के आलोक में दिनांक 23.04.2025 तक जिला खनन कार्यालय, समस्तीपुर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी। खनिज विकास पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा जाँच हेतु श्री शुभम कुमार सिंह, तत्कालीन खान निरीक्षक, समस्तीपुर को निदेशित किया गया था, लेकिन श्री शुभम कुमार सिंह, तत्कालीन खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, समस्तीपुर द्वारा तत्समय परिवाद पत्र के आलोक में कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिससे उनके द्वारा अवैध खनन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने, कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होता है।

2. श्री शुभम कुमार सिंह, तत्कालीन खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, समस्तीपुर के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय पत्रांक–3821, दिनांक–14.07.2025 से आरोप पत्र में अंकित अवचार पर लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

3. श्री शुभम कुमार सिंह, तत्कालीन खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, समस्तीपुर सम्प्रति लखीसराय द्वारा पत्रांक कैम्प–01 दिनांक–30.07.2025 से लिखित अभिकथन समर्पित किया गया। श्री शुभम कुमार सिंह से प्राप्त लिखित अभिकथन में अपने बचाव बयान जो भी तर्क दिये गये हैं उसकी समीक्षा सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में परिवाद में वर्णित स्थल से अवैध खनन रोकने की कार्रवाई के संबंध में इनके द्वारा महज खानापूर्ति की गई, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण परिवादी को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर करना पड़ा। इस स्थिति में श्री शुभम कुमार सिंह, खान निरीक्षक का लिखित अभिकथन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। श्री शुभम कुमार सिंह प्रथम दृष्टतया दोषी प्रतीत होते हैं। श्री शुभम कुमार सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को देखते हुए इसकी जाँच की आवश्यकता प्रतीत होती है।

4. अतएव श्री शुभम कुमार सिंह के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, समस्तीपुर तथा** प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी, **खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, समस्तीपुर** को नियुक्त किया जाता है।

5. श्री शुभम कुमार सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपना बचाव/पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखेंगे एवं जैसा की संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(भारत भूषण प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

अनुलग्नकः–आरोप पत्र साक्ष्य सहित (संचालन पदाधिकारी, प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री शुभम कुमार सिंह हेतु)

P.T.O.

Sanj/bach/karyalaya adesh

ज्ञापांक–प्र0–II–अरा0(आ0)–08 / 2025–............................/एम0, पटना, दिनांक..........................
प्रतिलिपिः– **अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, समस्तीपुर,**–सह–संचालन पदाधिकारी/ **खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, समस्तीपुर**–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/श्री शुभम कुमार सिंह, तत्कालीन खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, समस्तीपुर सम्प्रति लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही का निष्पादन कर जाँच प्रतिवेदन (मंतव्य सहित) विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–08 / 2025–........................../एम0, पटना, दिनांक.......................
प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–08 / 2025–........................../एम0, पटना, दिनांक.......................
प्रतिलिपिः– जिला कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर/लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–08 / 2025–........................../एम0, पटना, दिनांक.......................
प्रतिलिपिः– उप निदेशक, अंचल कार्यालय, दरभंगा/खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन कार्यालय, समस्तीपुर/लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक– प्र0–II–अरा0(आ0)–08 / 2025–5067/एम0, पटना, दिनांक 10/09/25
प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (खान एवं भूतत्व) मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी /आई0टी0 मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ प्रेषित।

10/09/25
सरकार के अपर सचिव

9.9.25

Sanj/bach/karyalaya adesh